न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18 / 2018

अपीलांट्स–

1. गुलाबसिंह पुत्र मोडसिंह
2. गुमानसिंह पुत्र मोडसिंह
3. ताराकंवर पत्नी मोडसिंह
4. बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
5. हडमतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
6. नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
7. मांगीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह
8. नेनसिंह पुत्र रावता
9. मोहनसिंह पुत्र रावता
10. भेरसिंह पुत्र रावता
11. शंकरसिंह पुत्र रावता के वारिसान

11.1 वीरमसिंह पुत्र शंकरसिंह

11.2 गोमतीकंवर पत्नी शंकरसिंह

जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासन तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. जोधसिंह गोद बाघसिंह
2. धोलसिंह पुत्र शिवसिंह
3. मंगलसिंह पुत्र शिवसिंह
4. गुमानसिंह पुत्र शिवसिंह
5. गोपीकंवर पत्नी शिवसिंह
6. राणसिंह पुत्र रणजीता
7. जीतूसिंह पुत्र जबरसिह
8. पप्पूकंवर पत्नी जबरसिंह

   जातियान राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासन तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
9. शाखा प्रबंधक, एसबीआई गुडामालानी
10. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे गुडामालानी
11. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.02.2017 जो संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:50 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री रामजीवन बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 की ओर से उपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

3. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 से 8 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेंट संख्या 11 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 25.01.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा जीवाणियों की ढाणी के खसरा नंबर 643, 643/3 रकबा क्रमशः 313–03, 145–06 बीघा कुल 458–09 बीघा भूमि के खातेदारान जोधसिंह गोद बाघसिंह 108/465 जोधसिंह गोद बाघसिंह 119/465 धोलसिंह मंगलसिंह गुमानसिंह पि0 शिवसिंह गोपीकंवर पत्नी शिवसिंह राणसिंह वल्द रणजीता जीतूसिंह वल्द जबरसिंह पप्पूकंवर पत्नी जबरसिंह गुलाबसिंह गुमानसिंह पि0 मोडसिंह ताराकंवर पत्नी मोडसिंह अर्जुनसिंह नेनसिंह मोहनसिंह भेरसिंह शंकरसिंह पि0 रावता 238/465 कौम राजपूत साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2017 तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बारासन द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है। मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 322 दिनांक 11.02.2017 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त कराने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.05.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:50 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 2 से 8 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों की ताईद की गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन निर्णय में खसरा नंबर 643 का रकबा 146–08 बीघा धोरों वाली पूरी की पूरी जमीन अपीलांट्स को दे दी। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खसरा नंबर 643 रकबा 76–16 बीघा व खसरा नंबर 643/3 रकबा 145–06 बीघा के बीचोंबीच सड़क रखकर बिना पैमाईश तरमीम करवा दी जबकि उक्त खसरा को रास्ते से जोड़ते हुए अपीलांट्स व उत्तरदाता का कब्जा–काश्त है। गलत दिशा में तरमीम करने से अपीलांट्स की ढाणियां व चारबाड़े व पाने के साधन अन्य पक्षकार के खेतों में चले जाते हैं। अपीलाधीन विभाजन आदेश की समस्त कार्यवाही अपीलांट्स को बिना बताए संपादित की गई जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53क में सहमति विभाजन के प्रावधान हैं तथा उक्त प्रावधान अनुसार सहखातेदारान की भूमि विभाजन हेतु मौके पर भौतिक रूप से माप किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में हलका पटवारी ने तहसील कार्यालय में बैठकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा मौके पर माप व सर्वे नहीं किया गया। अतः अपीलाधीन कार्यवाही नियमों व मौका कब्जा के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अरसा 20–25 दिन पूर्व जब उत्तरदातागण के द्वारा हमारे रहवासी ढाणियां की धमकियां देने व काश्त करने से मना करने पर अपीलांट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अपीलाधीन आराजी का गलत रूप से बंटवाडा करा दिया गया है। इस प्रकार जानकारी होने से यह अपील अन्दर मयाद पेश की जा रही [illegible] जो सद्भाविक विलम्ब हुआ है उसे क्षमा किया जावे तथा इस अपील को मयाद के भीतर शुमार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:50 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलाधीन समस्त कार्यवाही पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत सहमति विभाजन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

के द्वारा सम्पन्न हुई है। सभी पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी स्वतंत्र सहमति प्रकट की गई। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर तस्दीक किया गया। हलका पटवारी द्वारा उक्त विभाजन इकरारनामे पर स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा जीवाणियों की ढाणी के खसरा नंबर 643, 643/3 रकबा क्रमशः 313-03, 145-06 बीघा कुल 458-09 बीघा भूमि के खातेदारान जोधसिंह गोद बाघसिंह 108/465 जोधसिंह गोद बाघसिंह 119/465 धोलसिंह मंगलसिंह गुमानसिंह पि0 शिवसिंह गोपीकंवर पत्नी शिवसिंह राणसिंह वल्द रणजीता जीतूसिंह वल्द जबरसिंह पप्पूकंवर पत्नी जबरसिंह गुलाबसिंह गुमानसिंह पि0 मोडसिंह ताराकंवर पत्नी मोडसिंह अर्जुनसिंह नेनसिंह मोहनसिंह भेरसिंह शंकरसिंह पि0 रावता 238/465 कौम राजपूत साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2017 तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बारासन द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है। मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 322 दिनांक 11.02.2017 पारित किया गया। अपीलाधीन विभाजन प्र[illegible] संलग्न विभाजन नक्शा का अवलोकन करने से पाय[illegible]स प्रकार विभाजित भूमि हिस्से में दी गई है उसमें पहुंच का [illegible] की सुविधा सभी पक्षकारों को नहीं दी गई है। खसरा [illegible] के बीच कटान रास्ता अंकित है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 को विभाजन में जो भूमि दी गई है वह इस सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

के दोनों तरफ दे दी गई है व अपीलांट्स तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 के हिस्से में आई भूमि में आने–जाने हेतु पहुंच मार्ग नहीं है। इस प्रकार खातेदारान को आने–जाने की सुविधा से वंचित किया गया है तथा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच आने–जाने के रास्ते व कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच एवं पहुंच मार्ग का प्रावधान नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 11.02.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गुडामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:50 IST
Reason: SelfAttested